श्री वैष्णव पोलिटेक्निक महाविद्यालय मे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु नियम व शर्ते

(संस्था में जमा करने की अंतिम तिथी 16/11/2022)

क्रमांक/एफ–1–6/2020/42–1:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री–परिषद के आदेश आयटम क्रमांक –15 दिनांक 18/01/22 के अनुसार पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत रिक्त पदो के आधार पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम रूपये 30,000/–(रूपये तीस हजार) के भुगतान पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 से आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी करता है :–

2. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत पदों मे से रिक्त पदो के आधार पर आमंत्रित होकर अतिथि व्याख्याता के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार होगे :–

2.1 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के रिक्त पदो के आधार पर की जायेगी

2.2 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या के आधार पर अभातशिप के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जायेगी।

2.3 संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभातशिप के मापदंड अनुसार रहेगी।

2.4 अतिथि व्याख्याता किसी भी स्थिति में नियमित महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेगें और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत 'लोक सेवक' नही माने जायेगें।

2.5 अतिथि व्याख्याताओं को महाविद्यालय में प्रति दिवस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घण्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रति दिवस औसत 7 घण्टे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घण्टे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, अतिरिक्त कक्षायें, प्रायोगिक कार्य, प्रवेश, परीक्षा कार्य योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियों, युवा–उत्सव आदि का भी कार्य संपादित करेंगे। शासन/महाविद्यालय की आवश्यकता अनुसार प्राचार्य के निर्देश पर अतिरिक्त कार्य भी संपादित करवाया जा सकेगा।

3 अतिथि व्याख्याओं के आमंत्रण की प्रक्रिया :–

3.1 अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण पत्र शैक्षणिक सत्र के अधिकतम 11 माह के लिए प्राचार्य द्वारा शासी निकाय के सचिव की हैसियत से जारी किया जाएगा।

3.2 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों/संस्थाओं में कार्य नहीं करेगा। इस आशय का शपथ–पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व अभ्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3.3 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

3.4 अतिथि व्याख्याता के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है । इसके लिए अतिथि व्याख्याता को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है।

3.5 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं का आमंत्रण समाप्त समझा जायेगा।

3.6 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को प्रेषित की जायेगी।

3.7 अतिथि व्याख्याता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.8 अतिथि व्याख्याता द्वारा संपूर्ण सत्र में सत्र में किए गए पठन–पाठन कार्य का मूल्याकंन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय परीक्षा के अर्जित अंको एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

3.9 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि व्याख्याता के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेगे ताकि मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकें।

3.10 प्रसूति के कारण अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि व्याख्याता को प्राचार्य द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा प्रसूति अवकाश के दौरान उस महिला अतिथि व्याख्याता के स्थान पर कोई अन्य अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित नहीं किया जायेगा। अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के समय इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला अतिथि व्याख्याता द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना कार्य पूर्ण किया जाएगा।

4 मानदेय का निर्धारण :–

4.1 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थिति होने पर रूपये 30,000/– का भुगतान किया जायेगा।

4.2 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थित नहीं होने पर

कुल मानदेय =	300000 × संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या / माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या

5. चयन प्रक्रिया :–

5.1 संस्था द्वारा प्रतिवर्ष चयन प्रक्रिया का संचालन किया जायेगा।

5.2 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे आवेदक जो अभातशित के प्रचलित विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक अर्हता रखेगें वे विज्ञापित पद के विरूद्ध आवेदन भर सकेगें।

5.3 आमंत्रण के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (क्रमिलियर छोडकर) को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा–निर्देशानुसार पद के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यार्थियों को भी अधिभार दिया जायेगा।

5.4 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को अधिकतम पॉच वर्षो का 20 अंको का अधिभार अनुभव के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष हेतु अधिकतम अधिभार 4 अंको का होगा।

काल खण्डों की संख्या (एक शैक्षणिक सत्र में)	अधिभार
151 या अधिक कालखण्ड	4 अंक
101 से 150 कालखण्ड	3 अंक
51 से 100 अधिक कालखण्ड	2 अंक
50 या इससे कम कालखण्ड	1 अंक

उक्त आशय का प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5.5 इस व्यवस्था के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में मेरिट सूचीयॉ तैयार की जायेगी। अन्तिम मेरिट सूची अतिथि व्याख्याता द्वारा न्यूनतम अर्हता उपाधि के दर्ज एवं सत्यापित प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों को जोडते हुये बनाई जायेगी।

श्रेणी 1 :–संबंधित विषयों में पीएचडी एवं गेट/नेट/स्लेट
श्रेणी 2 :– संबंधित विषयों में पीएचडी या गेट/नेट/स्लेट
श्रेणी 3 :– संबंधित विषय में स्नातकोत्तर
श्रेणी 4 :– संबंधित विषय में स्नातक (संबंधित विषय के लिये स्नातक न्यूनतम अर्हता का प्रावधान होने की स्थिति में)

5.6 मेरिट अंको की गणना :– संबंधित विषय के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जायेगा तथा अधिभार जोडा जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी आवेदन के न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है, अनुसूचित जाति का है, दिव्यांग भी है एवं 5 वर्षो का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होगे :–

न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा	–	25 अंक
अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये अधिभार	–	7.5 अंक
दिव्यांग के लिये अधिभार	–	7.5 अंक

5.7 श्रेणी के क्रमानुसार ही अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जायेगा। अर्थात् श्रेणी –1 के अतिथि व्याख्याताओं को उच्चतम वरीयता दी जायेगी। उसके पश्चात क्रमशः श्रेणी– 2,3, एवं 4 को वरीयता दी जायेगी। श्रेणी समान होने पर मेरिट अंको की वरीयता देखी जायेगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि व्याख्याता को वरीयता दी जायेगी।

5.8 इस विज्ञापन के संदर्भ में व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु समस्त अधिकार संस्था प्रशासन के पास रहेगें।

प्रभारी प्राचार्य